

प्रेसनोट दिनांक 11-10-2024

1. दिनांक 10.11.2024 को वादी श्री परशुराम ओझा प्र०नि० गोसाईगंज अयोध्या। 9454403299 द्वारा सूचना दिया गया कि 1.बाबूराम चौहान पुत्र इन्द्रपाल चौहान नि० गौहनिया थाना गोसाईगंज अयोध्या। **घायल गिर०** 2. धीरेन्द्र वर्मा उर्फ गब्बर पुत्र देवनरायन वर्मा नि० देवगिरिया पुरैनी थाना गोसाईगंज अयोध्या। 3.विवेक वर्मा पुत्र राकेश वर्मा नि० लालपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या। **उपरोक्त सभी गिर०** 4. अंकित वर्मा पुत्र अज्ञात नि० खेवार थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर। अभि०गण द्वारा लूट की योजना बनाते समय पकड़े जाना तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहे से फायर करना तथा पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही में अभि० बाबूराम का घायल हो जाना व अभि०गण के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर व 02 अदद मो०सा० व एक अदद मोबाइल फोन चोरी का बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 236/24 धारा 109(1), 313, 317(1) बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।